(127)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 3432–एक/2016 निगरानी – विरूद्ध – आदेश दिनांक 31–8–2016 – पारित द्वारा – अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर – प्रकरण कमांक 10 अ–6/2014–15 अपील

1– श्रीमती सगुनवाई पत्नि टाबल सिंह लोधी
ग्राम झामर तहसील व जिला नरसिंहपुर
2– श्रीमती ओमवती वाई पत्नि सोबरन सिंह लोधी
ग्राम नोन पिपरिया तहसील गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर ——आवेदकगण

विरूद्ध

दिशाल सिंह पुत्र राजाराम लोधी
ग्राम चांदनखेड़ा तहसील गोटेगॉव
जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश ——अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अनिल सोनी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अशोक अलाटे)

आ दे श

(आज दिनांक 21 – 08 –2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 10 अ–6/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–8–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार गोटेगॉव को म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109/110 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि मौजा चांदनखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नंबर 13/1 रकबा 4–08 हैक्टर की भूमिस्वामी उसकी नानी श्रीमती खेरीवाई पत्नि अमाव सिंह लोधी थी , जिनकी दिनांक 18–11–13 को मृत्यु हो

गई है। मृतक नानी द्वारा उसके हित में बसीयतनामा किया है , बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जाय। नायव तहसीलदार गोटेगॉव ने प्रकरण कमांक 8 अ-6/ 2013-14 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की, जिस पर आवेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत की। नायव तहसीलदार गोटेगॉव ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 13-11-2014 पारित किया तथा आवेदकगण एंव अनावेदक का मृतक की भूमि के समान भाग पर नामान्तरण/ बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी गोटेगॉव के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर ने प्रकरण कमांक 10 अ-6/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-8-2016 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार गोटेगॉव का आदेश दिनांक 13-11-14 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण उभय पक्ष की साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नियत किया। अनुविभागीय अधिकारी गोटेगॉव के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन के साथ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों पर विचार किया गया।

4/ उभय पक्ष की मौखिक बहस, लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार गोटेगॉव ने आदेश दिनांक 13-11-14 के अंत में इस प्रकार का निष्कर्ष अंकित किया है :-

> हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एंव 2005 की उत्तराधिकार अधिनियम में सहोदर पुत्रियों को खानदानी पूर्वजों की संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने का प्रावधान है हिन्दू भूमिस्वामी की स्वअर्जित जमीन है या खानदानी संपत्ति है। यदि खानदानी जमीन संपत्ति है तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार हिस्सा निर्धारित होगा।

उपरोक्त कम में नायव तहसीलदार ने आवेदकगण एंव अनावेदक को मृतक महिला श्रीमती खेरीवाई द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि में समान भाग पर बटवारा/ नामान्तरण किया है। अनुविभागीय अधिकारी गोटेगॉव ने नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 13-11-14 इस आधार पर निरस्त किया है कि :-

> अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति पर बिना कोई साक्ष्य लिये, बिना कोई फर्द लिये वादग्रस्त भूमि का बटवारा अपीलार्थी तथा प्रतिअपीलार्थी के मध्य बटवारा के आदेश पारित

कर दिये हैं जबकि प्रकरण नामान्तरण से संबंधित था और न प्रतिअपीलार्थियों व्दारा आपत्ति प्रस्तुत कर उन्हें पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया था। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने बसीयत के साक्षियों का प्रतिपरीक्षण आदि नहीं किया है और न ही प्रतिअपीलार्थी के कथन आदि लिये हैं।

इस प्रकार का निष्कर्ष देते हुये अनुविभागीय अधिकारी ने नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण को स्वस्तर से निराकरण करने हेतु साक्ष्य के लिये नियत किया हैं । विचार योग्य है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने स्वस्तर से प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत करने में त्रृटि की है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 49 में म0प्र0सॅशोधन अधिनियम कमांक 42 सन 2011 व्दारा उपधारा (3) इस प्रकार स्थापित की गई है –

उपधारा (3) – पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरूद्व अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिये वह आवश्यक समझे :

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी व्दारा मामले को निपटाने के लिये प्रतिप्रेषित नहीं करेगा :

अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31-8-2016 उक्तानुकम में उचित प्रतीत होता है क्योंकि नायव तहसीलदार के आदेश दिनॉक 13-11-14 में आई विसंगतियों को स्पष्ट करते हुये नायव तहसीलदार के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण उभय पक्ष की साक्ष्य लेने के लिये नियत किया है जहॉ उभय पक्ष को लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर व्दारा प्रकरण कमांक 10 अ-6/ 2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-8-2016 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर